प्रेस नोट–86/2026
दिनांक 09.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना तिलहर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना तिलहर व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बस स्टैण्ड कराड थाना कराड जनपद सातारा महाराष्ट्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अक्षय को गिरफ्तार कर दिनॉकः 09.02.2026 को लाया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना तिलहर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद शाहजहॉपुर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना तिलहर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अक्षय निवासी कृष्णा साइकिल वाली गली सदर बाजार थाना सदर बाजार जनपद शाहजहॉपुर।

- **कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–2 (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना फेस–2 पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त नितिन को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बांदा/थाना बबेरू (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 22–22 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना बबेरू पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि, 6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सुखदेव 2–हीरालाल को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास व 22–22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद औरैया/थाना दिबियापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना दिबियापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376(3) भादवि, 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शरद कुमार को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

प्रेस नोट–87 / 2026
दिनांक 09.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनभवन में आयोजित “प्रादेशिक फल, शाकभाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी–2026” में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के कैंप कार्यालय के उद्यान को प्रथम पुरस्कार

प्रादेशिक फल, शाकभाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी समिति, लखनऊ तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में जनभवन प्रांगण, लखनऊ में **दिनांक 06, 07 एवं 08 फरवरी, 2026 को तीन दिवसीय प्रादेशिक फल, शाकभाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी–2026** का भव्य आयोजन किया गया।

प्रदर्शनी के समापन अवसर पर आज दिनांक 09 फरवरी, 2026 को महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिभागी संस्थानों एवं विभागों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए **पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र** प्रदान किए गए।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के कैंप कार्यालय के उद्यान को **वर्ग–453 (कार्यालय उद्यान–1000 से 2000 वर्ग मीटर) की श्रेणी में उत्कृष्ट, अनुशासित एवं सौंदर्यपूर्ण रख-रखाव के लिए प्रथम पुरस्कार** से सम्मानित किया गया। **महामहिम राज्यपाल उ0प्र0 श्रीमती आनन्दीबेन पटेल द्वारा श्री राजीव कृष्ण** पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को पुरस्कार से सम्बन्धित **चल वैजयंती सम्मान चिन्ह एवं प्रमाण पत्र प्रदान** किया गया।

यह सम्मान पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में कार्यालयीन अनुशासन, नियमित निगरानी तथा सुव्यवस्थित प्रबंधन का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसके परिणामस्वरूप कैंप कार्यालय का उद्यान न केवल सौंदर्य की दृष्टि से उत्कृष्ट है, बल्कि पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं सतत देखभाल का भी आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है।

प्रादेशिक फल, शाकभाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी – 2026

प्रतियोगी संख्या ...83...

प्रमाण पत्र

प्रथम

प्रमाणिक किया जाता है कि

श्री/श्रीमती/कु0 ...पुलिस महानिदेशक ,उत्तर प्रदेश , जनपद-लखनऊ... को

जन भवन प्रांगण में दिनांक 6, 7, एवं 8 फरवरी 2026 को आयोजित प्रादेशिक फल, शाकभाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2026

में ...वर्ग 453-कार्यालय उद्यान - 1000 वर्ग मीटर से 2000 वर्ग मीटर तक के उद्यान।... के प्रदर्शन हेतु प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

डा0 जय राम वर्मा
अवैतनिक सचिव प्रादेशिक फल, शाकभाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी समिति ।
अधीक्षक, राजकीय उद्यान, आलमबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

भानु प्रकाश राम
निदेशक
उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश